ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(13)

पी0ए0 केश नं0– 60/16–17

रामजी टुडू बनाम् रैयान, मौजा–पलहारपुर

1-18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से आंतरित होकर प्राप्त हुआ है। वर्त्तमान वाद हेतु विद्वान उपायुक्त के न्यायालय द्वारा आर0एम0ए0 नं0–11/2004–05 के तहत् आदेश पारित है कि दोनों पक्षकार अंतिम प्रधान के Next heir होने का दावा करते हैं। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पी0ए0 केश नं0–37/2003–03 में दिनांक–26.05.2004 को पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विचारोंपरांत दिनांक– 26.05.2004 को पारित आदेश निरस्त करते हुए पुनः धारा–6 के तहत् अंतिम प्रधान के सही Next heir को गहराई से जांच पड़ताल कर नियमानुसार प्रधान नियुक्त करने हेतु अभिलेख मूल रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को रिमांड किया गया था।

इस संबंध में उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। रामजी टुडू का कहना है कि अंतिम प्रधान दलपीत टुडू थे। उनकी मृत्यु के बाद धारा–6 के तहत् प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया, जो कि पी0ए0 केश नं0–28/2000–01 कहकर दर्ज हुआ, परन्तु उनके आवेदन पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः विद्वान उपायुक्त के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–11/2004–05 दायर किया गया। उसमें निर्णय प्राप्त हुआ कि अंतिम प्रधान के Next heir को प्रधान नियुक्त किया जाय। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा इस हेतु कतिपय कागजात दाखिल करते हुए अंत में अनुरोध किया गया कि प्रधान के रूप में इनके विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं है। अतः श्री रामजी टुडू को प्रधान नियुक्त किया जाय।

श्री मानसिंह टुडू के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अंतिम प्रधान भोजू टुडू थे। उत्तरवादी मानसिंह टुडू पूर्व प्रधान के पोता एवं Next heir हैं। रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन पत्र की जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त होने के पश्चात् ही उत्तरवादी मानसिंह टुडू को प्रधान बहाल किया गया था। मौजा के 16 आना रैयत की ओर से भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कराई गई थी। अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा प्रधान पद पर नियुक्त हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसके आलोक में इनकी नियुक्ति हुई थी। अंत में इन्हें प्रधान नियुक्त किया गया कि उक्त मौजा प्रधानी मौजा है। पी0ए0वाद सं0– 110/59–60 भोजू हेम्ब्रम बनाम् रैयान मौजा–पलहारपुर के क्रम में दिनांक–28.06.62 को आदेश पारित करते हुए लिखा है कि Dalpit Tudu has produced the appointment letters for his grandfather, as well as for his father. The document appear to be genuine. Therefore Dalpit Tudu has first claim to the Pradhan of the village. Ask C.O. Mahagama if he has any objection is the appointment of Dalpit Tudu as Pradhan.----. पुनः दिनांक–06.08.62 को अंकित किया गया कि Perused the report of the C.O. Mahagama. He reports that he has no objection to the appointment of Dlapit Tudu as Pradhan of Mouza- Palharpur. Let the candidate file J.B. & security petition of the Mouza by 25-08-62.

Scanned with CamScanner

उक्त बहाली आदेश उपायुक्त, दुमका के स्तर से दिनांक–29.10.62 को अनुमोदित है।

इससे स्पष्ट है कि दलपीत टुडू, पे0–भोजू टुडू इस मौजा के अंतिम प्रधान थे। अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–161, दिनांक–02.05.2016 द्वारा प्रतिवेदित है कि "दलपीत टुडू के मृत्यु के पश्चात मानसिंह टुडू वल्द मोहन टुडू की पी0ए0 केश नं0–37/2003–04 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् प्रधान पद पर नियुक्ति हुई है। ततपश्चात माननीय उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा आर0एम0ए0ए0 नं0–11/2004–05 दिनांक–04.04.2013 को पारित आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था। ओवदक से संबंधित पी0ए0 केश नं0–28/2000–01 को पुर्नस्थापित करते हुए पुनः धारा–6 के तहत् अंतिम प्रधान के सही वंशज को नियमानुसार प्रधान नियुक्त करने हेतु आदेश पारित है। इस मौजा के अंतिम प्रधान दलपीत टुडू, पे0–भोजू टुडू थे, जिसकी नियुक्ति पी0ए0 केश नं0–110/59–60 दिनांक–07.09.1962 को हुई थी।" उक्त प्रतिवेदन में यह भी अंकित है कि रामजी टुडू पूर्व प्रधान के पौत्र हैं। तथापि रामजी टुडू द्वारा प्रस्तुत कागजात से प्रतीत होता है कि वे दलपीत टुडू के पुत्र हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि दलपीत टुडू मौजा–पलहारपुर के अंतिम प्रधान थे तथा आवेदक रामजी टुडू उनके निकटतम वंशज हैं। इनके विरूद्ध किसी भी प्राधिकार या व्यक्ति द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की अनुसूची–V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के रूप में श्री रामजी टुडू को अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया गया है तथा किसी भी प्राधिकार द्वारा इस हेतु कोई भी प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–161, दिनांक–02.05.2016 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् रामजी टुडू, पे0–स्व0 दलपीत टुडू, सा0–पलहारपुर नं0–759, जमाबंदी नं0–01, अंचल–महागामा को मौजा–पलहारपुर नं0–759 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। साथ ही मानसिंह टुडू, पे0–मोहन टुडू, सा0–पलहारपुर, अंचल–महागामा के दावा को अस्वीकृत किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।